ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

वर्ष XI अंक 4, शिशिर 2019
करुणा-मित्र
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी – भारत की पत्रिका
प्राणी अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट

सम्पादकीय

त्यौहार के नाम पर ऊंटों का क़त्ल बंद हो

देश भर में बी डब्ल्यू सी ने २०१९ में ५५ से भी अधिक महानुभावों का संपर्क किया, जिनमें देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, कई जिला न्यायाधीश, नौकरशाह और पुलिस अधिकारी, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश प्रशासन में अन्य कई लोग थे। हमने इन सभी से गुज़ारिश की कि उत्तर प्रदेश में ऊंटों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए अथवा बकरी ईद के अवसर पर उनके क़त्ल पर रोक लगाई जाए। हमने बताया कि वाराणसी, मऊ और अन्य स्थानों पर, विशेष कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में २०१८ ऊंट का क़त्ल किया गया, क्यूंकि पुलिस और प्रशासन ने बड़े प्राणियों को मारने के खिलाफ मुख्यमंत्री के प्रतिबंध विषयक निर्देशों को लागू करने में कोताही बरती।

हमने यह भी दर्शाया कि एक ओर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पास सीमा की सुरक्षा के लिए ऊंटों की कमी है, और उधर ऊंटों का कत्ल हो रहा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाल कर हो रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्धारण (जजमेंट) जिसमें ऊंटों के क़त्ल को प्रतिबंधित किया गया था, की एक प्रतिलिपि बी डब्ल्यू सी की वित्तीय सहायता से पिपल फॉर केटल इन इण्डिया (PCII) नामक संस्था के द्वारा प्राप्त की गई, हमने यह जजमेंट भी उन्हें भेजा। राजस्थान शासन के ऊंटों को बचाने के लगातार प्रयासों, जिनमें उन्हें कत्ल के इरादे से राज्य के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देना भी शामिल है, की जानकारी भी दी।

आश्रय स्थान, चेन्नई में बचाया गया ऊंट। *तसवीर सौजन्य:* गीता जयकुमार

हमें इस बात में सफलता मिली कि उ.प्र. सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि मऊ में प्रतिवर्ष जिस मंडी में त्यौहार के पूर्व सैंकड़ों ऊंट क़त्ल के लिए बिकते थे, वह मंडी ही नहीं लगने दी। यह अविश्वसनीय सच है कि वाराणसी में त्यौहार के एक दिन पूर्व कत्ल के इरादे से छुपा कर रखे गए ५ ऊंट को पुलिस ने ड्रोन केमेरा की सहायता से खोज निकाला और उन्हें बचाया गया। इसी प्रकार जौनपुर से भी २ ऊंट बचाये गए। इसके पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के स्पष्ट निर्देश पर पुलिस ने २२ ऊंटों को मेरठ में ड्रोन केमेरा के माध्यम से ढूंढ कर बचाया था, जिनमें एक समर्पित किया हुआ ऊंट भी शामिल था। इन सभी ऊंटों को वापस राजस्थान भेजा भी गया।

यह उल्लेखनीय है कि मेरठ के वरिष्ठ जिला पुलिस अधीक्षक (SSP) ने ईद के अवसर पर कड़े निर्देश जारी किये थे कि ईद के अवसर पर यदि ऊंट का कटान हुआ तो सीधे जेल होगी। कई स्थानों पर पुलिस के समझाने पर मुस्लिम समुदाय ने ऊंट के क़त्ल की प्रथा को त्याग दिया।

देश में ऊंटों की सर्वाधिक आबादी (७०%) वाले राज्य राजस्थान में साल-दर-साल ऊंटों की आबादी में कमी हो रही थी। वर्ष १९८२ में जहाँ उनकी आबादी देश भर में दस लाख से ऊपर थी, वह १९९७ में कम हो कर ९ लाख रह गई। वर्ष २००७ में यह और भी कम हो कर ६ लाख ही रह गई थी। जबकि राजस्थान में ऊंटों की आबादी १९९६ में ६.६९ लाख थी, जोकि २००७ में ४.३ लाख और आगे जाकर केवल २ लाख (अनुमानित) शेष रह गई। राजस्थान से ऊंटों की तस्करी होकर पड़ोस के राज्य हरियाणा एवं दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में क़त्ल के लिए ले लाया जाता है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने ऊंट को विशेष दर्जा दे कर ऊंटों की तस्करी, क़त्ल और उनके आंतर राज्य व्यापार पर रोक लगा दी है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसन्धान केंद्र (NRCC) ने ऊंटों को विलुप्तप्राय: प्राणी का दर्जा देने पर ज़ोर दिया है।

राज्य शासन की सतर्कता और पुलिस अधिकारियों की समझदारी से राजस्थान के टोंक शहर में १५० वर्षों से चली आ रही ईद के अवसर पर ऊंट के क़त्ल की प्रथा को राजवी परिवार ने २०१४ में त्याग दिया।

आशा है, यह प्राणी अपने देश से विलुप्त हो जाने के पूर्व हमारी आँखें खुल जायेगी और हम ऊंट को बचाने के लिए सचेत रहेंगे।

भरत कापडीआ
संपर्क: *editorkm@bwc-india.org*

ऑटर, टुकेई गेको और स्टार टॉरटॉइस

CITES के संरक्षण के बाद इनका अवैध व्यापार बंद होना चाहिए अथवा कम से कम उसमें कटौती होनी चाहिए, कहती हैं, निर्मल निश्चित।

अगस्त २०१९ में विलुप्तप्राय: प्रजातियों के अवैध व्यापार के संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन की जेनीवा में हुई बैठक में टुकेई घरेलू छिपकली, ऊदबिलाव और स्टार कछुए को प्रदत्त संरक्षण की कक्षा बढ़ाने और उनके अवैध व्यापार पर प्रतिबन्ध विषयक बहुमत से निर्णय लिया गया। इन जीवों व अन्य जीवों के शिकार एवं उनकी देश के बाहर हो रही तस्करी के खिलाफ बी डब्ल्यू सी दशकों से जन-जागृति अभियान चला रही है। अत: अब हम आशा कर सकते हैं कि यह नवीन CITES उच्चतर संरक्षण अवैध व्यापार को बंद करेगा या कम से कम इसमें कटौती होगी।

ऑटर

ऊदबिलाव कश्मीर से केरल तक पाये जाते हैं। ये छोटे से अर्द्ध-जलीय स्तनपायी प्राणी, मिंक से संबंधित हैं, जिन्हें फर के लिए क़त्ल किया जाता हैं। भारत में पायी जाने वाली ऊदबिलाव की तीनों प्रजातियां (ऊदबिलाव, पानी का कुत्ता और जल मन्स्य) संरक्षित वन्यजीवन हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा इनका शिकार किया जाता है, जो बाघ और चीतों को फाँस कर मारते हैं, परिवहन करते हैं और देश के बाहर तस्करी करते हुए बेच देते हैं।

ऑटर। ***तसवीर:*** © Fingers234/Dreamstime.com

उत्तर में ज़ब्त २०-३०% जंगली प्राणियों का फर ऊदबिलाव का होता है। बारम्बार गिरफ्तारियां होती हैं, ऑटर की खाल और लोहे के फंदे ज़ब्त किये जाते हैं, पर उनसे दस गुना अधिक पलायन होते हैं। पेट्रोल टैंक के ज़रिए तस्करी की जाकर ये खाल तिब्बत और चीन के अवैध फर बाज़ारों में पहुंचती हैं। इसमें कोई ताज़्ज़ुब नहीं है कि विश्व के ऊदबिलावों की खाल का ५०% भारत से उपजता है। आरामदेह गाढ़ेपन के कारण ऊदबिलाव का फर उच्च गुणवत्ता का माना जाता है (एक वर्ग इंच क्षेत्र में ६,५०,००० बाल) जिनका प्रयोग कोट, जैकेट, स्कार्फ और हैंडबैग बनाने में होता है।

ऊदबिलाव की खाल की देश के बाहर तस्करी की जाती है। जबकि उनके जननांग, खोपड़ी और अन्य अंगों को पिस कर भारत में पारंपरिक दवाइयां बनाने में प्रयोग होता है। ऊदबिलाव के तेल का प्रयोग जोड़ों के दर्दों में व निमोनिया में होता है। एक ऊदबिलाव की चर्बी से लगभग २५० ग्राम तेल निकल सकता है और उसकी कीमत कुछेक सौ रुपये मिलती है।

शिकारियों और अवैध व्यापारियों का जाल समस्त संरक्षित मैनग्रोव क्षेत्रों में फैला है। नदीतट के ऊपर ऊदबिलाव के पदचिह्न पाकर शिकारी कुशलतापूर्वक रेत के साथ मिल जाये ऐसे पैर फांसने वाले फंदे बिछा देते हैं। ऊदबिलाव का शिकार उन आदिवासियों के माध्यम से भी किया जाता है, जोकि शिकारी कुत्तों का प्रयोग करते हैं, साथ ही जो उदबिलाव को घेरने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को काम में लाते हैं।

सौभाग्य से, दलाई लामा चुबा नामक पारंपरिक तिब्बती परिधान में ऊदबिलाव की खाल या अन्य विलुप्तप्राय: प्राणियों के फर का समर्थन नहीं करते हैं।

जून, २०११ में बी डब्ल्यू सी ने पहली बार केन्द्रिय गृहमंत्री को सीमा पर तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लिख कर आग्रह किया। परंतु, शिकार और तस्करी की गतिविधि धड़ल्ले से चलती रही। २०१८ के अंत में 'आकर्षक' ऊदबिलाव पालतू प्राणी के रूप में सर्वत्र लोकप्रिय हुए, विशेष कर जपान में। इस प्रकार इनका शिकार व तस्करी में निरंतर वृद्धि होती रही। परंतु, हाल ही में CITES के द्वारा कोमल-चमकीले आवरण वाले एवं छोटे से पंजों वाले ऊदबिलाव, जोकि भारत के कोंकण क्षेत्र में पाए जाते हैं, को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किये जाने पर, अब हम आशा कर सकते हैं कि इनके शिकार की प्रवृत्ति का अंत होगा।

टुकेई गेको

टुकेई गेको। *तसवीर:* © Cathy Keifer/Dreamstime.com

टुकेई घरेलू छिपकली (रंगबिरंगी छिपकली) भारत में सबसे बड़ी तादाद में पाये जाने वाले पांच वन्य जीवों में से एक है। इन्हें खुशकिस्मती एवं फलदायकता का प्रतीक समझा जाता है। साथ ही औषधीय व्यापार के कारणों से इनका शिकार होता है।

टुकेई घरेलू छिपकली, कछुए, हिमालयी मैना और अन्य जीवों की सैंकड़ों की तादाद में भारत के बाहर नियमित तस्करी होती रहती हैं। टुकेई घरेलू छिपकली सामान्यतया मणिपुर में पायी जाती हैं। जबकि, अन्य जीवों की पैदाइश उत्तर प्रदेश की हैं, जहाँ से वे अपने विक्रय-मूल्य की १/५ कीमत में क्रय की जाती हैं। इनकी मांग मुख्यतया थाईलैंड, मलेशिया और चीन जैसे देशों में है। हमारे देश से इनका बाहर जाने का मार्ग पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश और टुकेई घरेलू छिपकली का पारगमन मार्ग बिहार होकर नेपाल के रास्ते जाता है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ के तहत संरक्षित होने के बावजूद टुकेई घरेलू छिपकली का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। हल्के वज़न की छिपकलियों को पकड़ने के बाद उन्हें पारद के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि उनका वज़न और दाम बढ़ सके। क्रूर अपराधी के रूप में कुख्यात तस्करों को इस बात की परवाह तक नहीं थी कि ये जीव यातना पाते हैं और दो-तीन दिनों में ही मर जाते हैं।

स्टार टॅरटॅइस

स्टार टॅरटॅइस। *तसवीर:* © Rosevite2000/Dreamstime.com

टुकेई घरेलू छिपकली की भांति, स्टार कछुए भी भारत में पांच सर्वाधिक तादाद में पाए जाने वाले प्राणियों में से एक हैं। भारत में सर्वत्र पाये जाने वाले, पर प्रमुखतया उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत में विशेष रूप से पाये जाते हैं। इन्हें फांस कर, पकड़ कर टाट के बोरे में भर कर पश्चिम बंगाल भेजे जाते हैं। वहां से बांग्लादेश में इनकी तस्करी होती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इन्हें आदिवासियों के द्वारा पकड़ा जाता है।

इन्हें पकड़ने के बाद भूखा रखा जाता है, ताकि परिवहन के दौरान इनका वज़न कम हो। यदि हवाई अड्डों पर इनके साथ कोई पकड़ा जाता है तो घोषणा की जाती है कि इन्हें पालने के लिए ले जा रहे हैं। नवंबर २०१८ में भारत से तस्करी कर सिंगापुर ले जाए गए ५१ स्टार कछुओं को वापस भेजा गया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। यह वापसी भारत स्थित एग्री-फूड एण्ड वेटरनरी ऑथोरिटी, भारत सरकार और वाइल्डलाइफ एसओएस की सहायता से एनिमल कंसर्न्स रिसर्च एण्ड एज्युकेशन सोसायटी के द्वारा की गई थी।

स्टार कछुओं की मांग रहती है, क्योंकि फेंग शुई के द्वारा इन्हें भाग्यशाली करार दिया गया है। परंतु, इनकी यही ख्याति खुद कछुओं के लिए कमनसीब और अत्यंत क्रूरतापूर्ण रही है। अपार्टमेंट में कैद होना, भूमि के बजाय टाइल्स के ऊपर चलने जैसी कई क्रूरतापूर्ण स्थितियों से ईन्हें गुज़रना पड़ता हैं। अतः आशा करें कि CITES के द्वारा परिशिष्ट में इन्हें प्रदत्त वृद्धिगत सुरक्षा के पश्चात इनकी सही मायनों में रक्षा होगी।

जैन व्हीगन व्यंजन

इस स्तंभ के अंतर्गत जैन व्हीगन व्यंजन बनाने की विधि प्रस्तुत है। यदि आप भी कोई रेसिपी भेजना चाहते हैं, तो पत्र/ई-मेल के द्वारा भेजें। व्हीगन से हमारा तात्पर्य यह है कि शाकाहारी लोगों की ऐसी श्रेणी, जोकि खाने-पीने में प्राणिज पदार्थ से बनी किसी भी वस्तु के प्रयोग से दूर रहते हैं।

नारियल

नारियल का प्रयोग विशेष कर दक्षिण भारत के कई व्यंजनों में होता है। भारत सरकार के नारियल विकास बोर्ड के द्वारा नारियल के तीन लाभ निम्नानुसार दर्शाये गए हैं।

१. कच्चे नारियल का पानी कुदरत के द्वारा प्रदत्त अत्यधिक पोषणक्षम और आरोग्यकारी पेय है।

२. नारियल का गुद्दा प्राकृतिक प्रतिजीवाणु और वायरसरोधी है।

३. कोरे नारियल के तेल में विटमिन, खनिज और एन्टी-ऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जोकि इस तेल को सभी तेलों का राजा बनाते हैं।

२००९ में ब्राज़ील में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि पेट से स्थूल औरतों के द्वारा नारियल तेल में रसोई पकाने पर उनकी कमर में कटौती हुई थी। साथ ही लाभकारी एचडीएल में वृद्धि हुई थी व एलडीएल एवं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में सुधार हुआ था।

यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि माता के दूध में पाए जाने वाले लॉरिक अम्ल समाविष्ट है, जिसमें प्रमाणित वायरसरोधी, प्रतिजीवाणु और प्रति फफूंदीय एजंट है।

ओलान *(३ व्यक्तियों के लिये)*

सामग्री

१/४ कप चौलाई/राजमा
२ कप घनाकार काटे कद्दू
४ लंबी चौलाई फल्ली १/२ इंच में काटी हुई
२ हरी मिर्च
नमक स्वाद अनुसार
३/४ कप नारियल दूध
१ कप पानी
१ छोटा चम्मच नारियल तेल
१० करी पत्ता

बनाने की विधि

चौलाई को सारी रात भिगो के रखें।

चौलाई फल्ली को दो व्हिसल या १५ मिनट तक प्रेशर कूक करकें एक ओर रख दें।

मध्यम आकार की कड़ाही में सब्जियां, हरी मिर्च,
नमक और २ बड़े चम्मच नारयल का दूध एवं पानी मिला कर करीब २० मिनट तक या लुगदी न होने तक पकाएं।

शेष नारियल दूध और पकाई हुई चौलाई मिलाऐं।

करी पत्ते और नारियल दूध से इसे सजाएं।

चावल के साथ परोसें।

बी डब्ल्यू सी द्वारा जांचे-परखे व आस्वाद किये गए स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि का संकलन देखने के लिए कृपया *www.bwcindia.org/Web/Recipes/Recipesindex.html* की मुलाकात लें।

प्रकाशक: डायना रत्नागर,
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
सम्पादक: भरत कापडीआ
डिझाईन: दिनेश दाभोळकर
मुद्रण स्थल: मुद्रा,
383 नारायण पेठ, पुणे 411 030

करुणा-मित्र
का प्रकाशनाधिकार
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी के पास सुरक्षित है।
प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना
किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्रित सामग्री
की अनधिकृत प्रतिकृति करना प्रतिबंधित है।

करुणा-मित्र प्राणिज पदार्थ-रहित कागज़
पर मुद्रित किया जाता है,
और प्रत्येक
बसंत (फरवरी), ग्रीष्म (मई),
वर्षा (अगस्त) एवं शिशिर (नवम्बर)
में प्रकाशित किया जाता है।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
टेलिफोन: +91 20 2686 1166 फैक्स: +91 20 2686 1420 ई-मेल: admin@bwcindia.org वेबसाईट: www.bwcindia.org

Scan me

निजी प्रचलन हेतु Reg. No. 022203/30/86/AL/TC